राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 161/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/191
दायर दिनांक– 9.12.2021
निर्णय दिनांक– 13.07.2024
उनवानी–

1. डगलाराम पुत्र स्व0 छीतर जाति जाट नि0 ग्राम भदूण तह0 रूपनगढ .....प्रार्थी

बनाम

1. रामा पुत्र रंगलाल जाति जाट नि0 ग्राम भदूण तह0 रूपनगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
3. उप पंजीयक रूपनगढ़

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:

1. श्री गोविन्द दास पुरोहित, अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भदूण पटवार हल्का भदूण भू0अ0नि0 क्षेत्र भदूण तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 5 के ख0न0 445 रकबा 0.0161 है0, ख0न0 446 रकबा 0.1294 है0, ख0न0 447 रकबा 14.0766 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 14.2221 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/48 है एवं खाता संख्या 35 के ख0न0 440 रकबा 8.6805 है0, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 5/288 है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ब्लात, कब्जा, अतिक्रमण कर हैरान परेशान कर रहा है और बार–बार विवाद उत्पन्न कर कब्जे काश्त में बाधाकारित करता रहता है जिसके कारण मुझ प्रार्थी को परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी कृषि आराजी की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी को अपने खेत में भूमि की बुवाई, जुताई बिजाई, निराई गुड़ाई जोत करने तथा नींव, सींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा नही हो। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र इसलिए पेश किया जा रहा है कि दिनांक 31.8.2021 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वही प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि में कब्जे काश्त निराई गुड़ाई में बाधा उत्पन्न कर कब्जा, ब्लात, अतिक्रमण, अतिचार करने का प्रयास किया जा रहा है जो अनवरत रूप से जारी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कब्जे काश्त एवं कृषि कार्य में दखलंदाजी नहीं की जावे तथा निराई गुडाई में बाधाकारित नहीं करे व कृषि भूमि में ब्लात, कब्जा, अतिचार नही करे। इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार की रहन, बखशीश, अन्तरण, नामान्तरण एवं बैचान आदि का पंजीयन नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की डिक्री पारित करे। अप्रार्थी संख्या 3 को भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार की रहन, बख्शीश, अन्तरण, नामान्तरण एवं बैचान आदि का पंजीयन नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 10:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी 2) की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कब्जे काश्त एवं कृषि कार्य में दखलंदाजी नहीं की जावे तथा निराई, गुड़ाई में बाधाकारित नहीं की जावें तंथा अतिचार नहीं करे। इस हेतु प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश प्रदान करावे व अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने तथा अप्रार्थी संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि के अन्तरण, नामान्तरण एवं बैचान आदि का पंजीयन नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की कृपा करावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि आधार संवत् 2072–2075 में खाता संख्या 5 (पुराना 5) के ख0न0 445, 446 व 447 तथा खाता संख्या 35 के ख0न0 440 ग्राम भदुण की संलग्न की है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा कमशः 1/48 एवं 5/288 राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है व रिकार्डेड खातेदार सिद्ध है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से में दर्ज कृषि आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ब्लात कब्जा, अतिक्रमण कर हैरान परेशान करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि ग्राम भदूण के ख0न0 445, 446, 447 व 440 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कृषि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करने, अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने व अप्रार्थी संख्या 3 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किसी भी प्रकार का रहन, बख्शीश, अन्तरण, नामान्तरण एवं बेचान आदि का पंजीयन नही करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested